न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार, R.T.S.
मिसल नं. ::: 25 / 2021

सरकार बनाम बिहारीलाल पुत्र दुलीचन्द, जाति–मेघवाल, निवासी– खेड़ला

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 13.08.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल बिहारीलाल पुत्र दुलीचन्द, जाति–मेघवाल, निवासी– खेड़ला द्वारा राजस्व ग्राम खेड़ला की राजकीय भूमि ख.नं. 305 के कुल रकबा 0.18 है0 किस्म गै. मु. रास्ता में से 0.01 है0 भूमि पर तार बाड़ कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि जिसमें उसने अंकित किया है कि अतिक्रमण है तो वह हटाने को तैयार है। गैर सायल ने अपने जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नही किया जिससे उसका कब्जा विधिक साबित होता हो। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश कुमार)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं.......... वर्ष 2021-22 में रुपये 5/- कायम कि : राजस्व